प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 15.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

शातिर गैंगस्टर अभियुक्त फूलकिशन रैदास पुत्र सुन्दर रैदास के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 2.17 लाख रूपये की संपत्ति की गयी जब्त

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 15.04.21 को क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में थाना हैदराबाद पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी फूलकिशन रैदास पुत्र सुन्दर रैदास निवासी भूडा थाना पसगवां जनपद खीरी के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग 02.17 लाख रूपये की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रुप से अर्जित अचल सम्पत्ति (0.121 हेक्टे0 भूमि) शामिल है।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

0.121 हेक्टे0 भूमि कीमत लगभग 2,17,800 रूपये।

कुर्क करने वाली टीम-

1. क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अभय प्रताप मल्ल
2. नायब तहसीलदार मोहम्मदी ज्ञान प्रताप सिंह
3. प्र0नि0 पसगवां आदर्श सिंह मय फोर्स
4. थानाध्यक्ष हैदराबाद अजय शर्मा मय फोर्स

<u>शातिर गैंगस्टर अभियुक्त दुर्गेश उर्फ डी0के0 पुत्र जगबहादुर सिंह के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 08 लाख रूपये की संपत्ति की गयी जब्त</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 15.04.21 को क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में थाना हैदराबाद पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी दुर्गेश उर्फ डी0के0 पुत्र जगबहादुर सिंह नि0 खेरिया मिश्र थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग 08 लाख रूपये की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रुप से अर्जित अचल सम्पत्ति (0.425 हेक्टे0 भूमि) शामिल है। अभियुक्त दुर्गेश उर्फ डी0के0 उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध पूर्व से हत्या व डकैती के प्रयास आदि के अभियोग पंजीकृत हैं।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

0.425 हेक्टे0 भूमि कीमत लगभग 7,65,000 रूपये।

कुर्क करने वाली टीम-

1. क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अभय प्रताप मल्ल
2. नायब तहसीलदार मोहम्मदी ज्ञान प्रताप सिंह
3. थानाध्यक्ष हैदराबाद अजय शर्मा मय फोर्स

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में समाजविरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. जगदीश पुत्र गया प्रसाद 2. रंजीत पुत्र शत्रोहन 3. मन्नू पुत्र राममिलन निवासीगण मक्कापुरवा थाना ईसानगर 4. गुफरान पुत्र मकबूल निवासी हसनपुर कटौली थाना ईसानगर जनपद खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व 310 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 173/21 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा शांति-व्यवस्था को बाधित करने के आरोपित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 15.04.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा ग्राम कंचनपुरवा मजरा मिलिक में पंचायत निर्वाचन में अपने-अपने पक्ष में मतदान कराने को लेकर आपसी विवाद कर शांति-व्यवस्था बाधित करने के आरोपित 07 अभियुक्तों-

1. राजकुमार पुत्र काशीराम निवासी बेनीपुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. कौशल किशोर पुत्र हरिसेवक निवासी बेनीपुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. मोहनलाल पुत्र राजकुमार निवासी लखनीपुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. बिहारीलाल पुत्र नेवाज भार्गव निवासी लखनीपुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर खीरी
5. त्रिभुवनलाल पुत्र बच्चूलाल निवासी बुद्धापुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी
6. प्रेमशंकर पुत्र तीरथराम निवासी बुद्धापुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी
7. मायापार पुत्र चन्द्रभान निवासी बेलापुरवा मजरा मिलिक थाना ईसानगर जनपद खीरी

को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी, थाना ईसानगर
2. उ0नि0 कुलदीप सिंह
3. का0 सरजू प्रसाद
4. रि0का0 अमन कुमार
5. रि0का0 कुलदीप सिंह

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>20 लीटर अवैध कच्ची शराब</u>** बरामद कर **<u>01 अभियुक्त</u>** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गौरीफंटा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार